न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–2022/221

1 भूली बाई उर्फ कौशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल उम्र 49 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम खजूरना तहसील कनवास हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज० ।

वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

उपस्थितिः:–

वादीनी की ओर से :– श्री महेश कुमार मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88.89, आर.टी. एक्ट. बाबत् नाम दुरूस्ती

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः–12.01.2023

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम खजूरना पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज० में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या नया 44 के खसर नं. 203 की रकबा 0.35 हैक्टर खसरा नं. 95 की रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.64 हेक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त आराजी वादीनी को अपनी स्वर्गीय माता रामचन्द्री पुत्री देवा की मृत्यु के बाद खुले फोती इंतकाल संख्या 182 दिनांक 20.05. 2013 से हमारे खाते दर्ज हुई है। वादीनी का घर का बोलता नाम भूली बाई था तथा पीहर में वादीनी को सभी भूली बाई के नाम से ही पुकारते थे इसलिए माता रामचन्द्री की मृत्यु के पश्चात खुले फोती इंतकाल में वादीनी का घर का बोलता नाम भूली बाई लिखवा दिया जो आज भी राजस्व रेकार्ड में भूली बाई दर्ज हो रहा है। वादीनी के विवाह के पश्चात वादीनी के ससुराल में वादीनी को सभी कौशल्या बाई के नाम से ही पुकारने लगे और वादीनी के विवाह के बाद बने सभी दस्तावेज जिसमें पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आदि सभी दस्तावेजों में वादीनी का नाम कोशल्या बाई पत्नी राजू मेघवाल निवासी सुल्तानपुर जिला कोटा दर्ज हो रहा है तथा वादीनी की स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर शाखा राजभवन रोड, कोटा में स्थित खाता पास बुक में वादीनी का नाम भूली बाई दर्ज है। वादीनी के राजस्व रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजात में नाम की भिन्नता आने के कारण वादीनी को उक्त आराजी में कृषि कनेक्शन लेने, सरकारी काटे पर अनाज बेचने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, कृषि ऋण प्राप्त करने आदि में भारी परेशानी आ रही है। जबकि उक्त दोनों नाम मेरे ही है तथा मुझ वादीनी को उक्त दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा हमारे गांव में इस नाम व वल्दीयत की अन्य कोई महिला नही है।

वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में दादी का नाम दुरूस्त करवाकर भूली बाई पुत्री हीरालाल के स्थान पर भूली बाई

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned with ACE Scanner

उर्फ कोशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल निवासी खजूरना हाल निवासी सुल्तानपुर दर्ज करवा लेवे वादीनी को कानूनन यह विधिक अधिकार हासिल है कि बाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करवाकर भूली बाई पुत्री हीरालाल के स्थान पर भूली बाई उर्फ कोशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल निवासी खजूरना हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा दर्ज करवा लेवें। वादीनी को उक्त त्रुटि की जानकारी नकल जमाबंदी दिनांक 22.11. 2022 को निकलवाकर बैंक में कृषि ऋण लेने हेतु पूछताछ करने व बैंक अधिकारियों द्वारा नाम में भिन्नता की वजह से कृषि ऋण नहीं देने व नाम दुरुस्त करवाने की कहने पर वादीनी सम्बंधित पटवारी हल्का से जाकर नाम दुरुस्ती हेतु मिली तो उन्होनें माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह दी इसलिए वाद कारण दिनांक 22.11.2022 को उत्पन्न हुआ।

वादी द्वारा निवेदन किया कि माल ग्राम खजूरना पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज० की खाता संख्या नया 44 के खसर नं. 203 की रकबा 0.35 हैक्टर खसरा नं. 95 की रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.64 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम भूली बाई पुत्री हीरालाल के स्थान पर भूली बाई उर्फ कोशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल निवासी खजूरना हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तलवी जर्ये सम्मन जारी किये गये पत्रावली जवाब सरकार में नियत की गई तहसील दार कनवास की ओर से जवाब सरकार बन्द किया गया पत्रावली पर प्रतिवादी कि ओर से वादी के वाद का कोई खण्डन या विरोध नही किया गया पत्रावली पर तनकीयान कायम किये जाने की आवश्यकता नही होने से पत्रावली सीधे ही साक्ष्यवादी में नियत की गई। पत्रावली बहस वादी सुनी गई साक्ष्यवादी में वादनी स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा अन्य सहखातेदार द्रोपती बाई का शपथ पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि माल ग्राम खजूरना पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज० की खाता संख्या नया 44 के खसर नं. 203 की रकबा 0.35 हैक्टर खसरा नं. 95 की रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.64 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम भूली बाई पुत्री हीरालाल के स्थान पर भूली बाई उर्फ कोशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल निवासी खजूरना हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned with ACE Scanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

प्रकरण संख्याः–2022/221

1 भूली बाई उर्फ कौशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल उम्र 49 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम खजूरना तहसील कनवास हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज० । वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) प्रतिवादी

उपस्थितिः:–

वादीनी की ओर से :– श्री महेश कुमार मालव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88.89, आर.टी. एक्ट. बाबत् नाम दुरूस्ती

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः–12.01.2023

मुकदमा नं. **2022/221** सन **2021** तारीख फैसला **10.01.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री महेश कुमार मालव वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी की ओर से राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अतः माल ग्राम खजूरना पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा राज० की खाता संख्या नया 44 के खसर नं. 203 की रकबा 0.35 हैक्टर खसरा नं. 95 की रकबा 0.29 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 0.64 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम भूली बाई पुत्री हीरालाल के स्थान पर भूली बाई उर्फ कोशल्या बाई पुत्री हीरालाल पत्नी राजू मेघवाल निवासी खजूरना हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री जारी की जावे। **तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **10.01.2023** माह **जनवरी** को जारी की गई।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी

कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned with ACE Scanner

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा "" स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प वजह सबूत "" महनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक ""	---------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प अर्जी "" महनताना वकील "" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा "" मुतफर्रिक "" मीजान ""	---------NIL------	
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned with ACE Scanner